Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 07-July-2018 **TIME : 06:30 pm**

मुख्य परीक्षा

1. **'आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है, लेकिन व्यवहार में इसे लागू करने में कुछ सावधानियाँ भी आवश्यक है।' इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करें।**

(150 शब्द, 10 अंक)

The system of reservation is based on the philosophy of social justice and equality but , some precautions are necessary in implementing it into practice. Present your thought in this reference.

(150 Words, 10 Marks)

MODEL ANSWER

उत्तर– सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय कानून के जरिए रोजगार व शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने की कोटा प्रणाली प्रदान की है। इस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था वर्तमान में सामाजिक न्याय और दर्शन पर आधारित है, जो उचित है किन्तु व्यवहार में इसे लागू करते समय कुछ सावधानियाँ भी आवश्यक है–

- आरक्षण को सबलीकरण/सशक्तिकरण से जोड़ना चाहिए अर्थात् आरक्षण को सामाजिक न्याय का एकमात्र साधन होने के बजाए केवल एक साधन होना चाहिए।
- आरक्षण की व्यवस्था को गतिशील होना चाहिए, जो समूह आरक्षण का लाभ लेकर सबल हो चुके हैं, उन्हें इस व्यवस्था से बाहर रखा जाना चाहिए।
- क्रीमीलेयर का निर्धारण तार्किक ढंग से होना चाहिए और बदली हुई परिस्थितियों में न केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपितु अनुसूचित जाति और जनजाति में भी क्रीमीलेयर लाने का विचार किया जाना चाहिए।
- भूमण्डलीकरण की वर्तमान परिस्थिति में आर्थिक कारक को भी आरक्षण का आधार बनाना चाहिए।
- प्रोन्नति में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया जाना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरूआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए।
- केवल कुछ परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

* * *

GS World
Committed To Excellence

Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 07-July-2018 **TIME : 06:30 pm**

मुख्य परीक्षा

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के अन्तर्गत वर्णित स्वतंत्रताओं का वर्णन कीजिए।

(150 शब्द, 10 अंक)

Explain the freedoms described under Article-19 of the Constitution of India.

(150 Words, 10 Marks)

MODEL ANSWER

उत्तर- भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार (Right to Freedom) का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अनुच्छेद-19 सबसे अधिक आवश्यक है। मूल संविधान में अनुच्छेद-19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई थी, जिनमें छठी स्वतंत्रता 'सम्पत्ति की स्वतंत्रता' को 44वें संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार के साथ-साथ 'संपत्ति की स्वतंत्रता' भी समाप्त कर दी गई। वर्तमान में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त है-

- **विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :** भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार प्रस्तुत करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है, किन्तु नागरिकों को यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है।
- **शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता :** व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किसी शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है।
- **समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता :** संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परन्तु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें राज्य आरक्षण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगता है।
- **भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता :** भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार-पत्र के सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं।
- **भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता :** यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनायी गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। इस स्वतंत्रता द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
- **कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता :** इस अधिकार के अन्तर्गत राज्य साधारणतया व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार, व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा, किन्तु इस संबंध में राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक योग्यता निर्धारित कर सकता है।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

* * *